मामला 11 लाख रुपए का अवैध सट्टा संचालित करने का

खजराना थाने के चार खुफिया जवानों पर गिर सकती है गाज

एसीपी के नाम पर करते थे उगाही, टीआई तक पहुंची थी शिकायत

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

खजराना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 11 लाख रुपए का सट्टा संचालित करने के मामले में थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव पर गाज गिर चुकी है। विजयनगर एसीपी द्वारा की गई जांच में चार खुफिया जवानों की भूमिका सामने आई है। इन पर कभी भी निलंबन की गाज गिर सकती है। सभी दोषी पुलिसकर्मी विजयनगर एसीपी के नाम पर सटोरियों से हर महीने 80 हजार की उगाही कर रहे थे। पैसे उगाही की जानकारी तत्कालीन टीआई उमरावसिंह और सुजीत श्रीवास्तव को थी, लेकिन दोनों ने कार्रवाई नहीं की थी। पिछले दिनों मुखबिर की सूचना पर परदेशीपुरा और विजयनगर एसीपी ने भारी-भरकम बल के साथ एक साथ खजराना थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की थी, जहां से 6 आरोपियों को मौके से सट्टा खिलाते गिरफ्तार किया था और उनके पास से 11 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए थे। मामले में थाना प्रभारी पर वसूली के आरोप भी लगे थे।

इन पर गिरेगी गाज

अब इस मामले की विभागीय जांच में चार खुफिया के जवानों पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इसमें खजराना थाने के खुफिया जवान जीशान अहमद, विनोद यादव, पंकज मीणा और प्रवेश शामिल हैं। इसके साथ ही कनाड़िया के दो जवान नीरज गुर्जर और जितेंद्र सेन भी जांच के घेरे में है।

जांच के नाम पर भी करते हैं वसूली

चारों के बारे में पता चला कि टीआई जिस मामले में जांच के आदेश देते थे, उन मामलों में भी चारों बगैर लेनदेन काम नहीं करते थे। विनोद मीणा तो थाने में ही कई बार फरियादियों से पैसे लेते हैं।

> सट्टा संचालित करने के मामले में खजराना थाने के चार खुफिया जवानों की भूमिका सामने आई है। एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट डीसीपी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।
>
> -**कृष्ण लालचंदानी**, एसीपी, विजयनगर थाना

मेंटल हॉस्पिटल में बम की सूचना, मचा हड़कंप, जांच में झूठी निकली जानकारी

इंदौर। बाणगंगा क्षेत्र स्थित मेंटल हॉस्पिटल में बम होने का मेल आया। मेल पढ़ने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना थी।

इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। जोन तीन के डीसीपी ने तत्काल बीडीएस, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीम को रवाना किया। टीम ने पूरे अस्पताल परिसर का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। करीब डेढ़ घंटे तक अस्पताल परिसर के कोने-कोने की जांच के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। कहीं भी बम नहीं मिला।

डीसीपी ने बताया कि बम संबंधी जो मेल अस्पताल प्रबंधन को मिला था, ऐसा ही मेल देश के अन्य अस्पतालों को भी भेजा गया है। मेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है। बता दें, पिछले दिनों एयरपोर्ट प्रबंधन को भी ऐसा ही मेल भेजा गया था।

नाम बदलकर की दूसरी शादी फिर धर्म बदलने का डाला दबाव

परदेशीपुरा थाने से भाग निकला आरोपी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें युवक ने नाम बदलकर शादी की, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पुलिस ने पकड़ा तो थाने से बदमाश फरार हो गया। अब पुलिस महकमा फरार आरोपी को तलाशने जगह-जगह छापेमारी कर रहा है, जबकि पीड़िता अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए पुलिस से गुहार लगा रही है। एक दिन पहले पुलिस ने जफर शेख को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पीड़िता को एफआईआर वापस लेने के लिए धमकाने उसके घर पहुंचा था। राखी (बदला हुआ नाम) ने थाने में शिकायत की थी कि तीन साल पहले वह राहुल नामक युवक से मिली थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और डेढ़ साल पहले खजराना गणेश मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद राहुल ने बताया कि उसका असली नाम जफर शेख है और वह पहले से ही शादीशुदा होकर दो बच्चों का पिता है। जफर ने कहा कि वह अपना धर्म छोड़कर हमेशा उसके साथ ही रहेगा।

पहली पत्नी के पास चला गया : चार महीने पहले आरोपी राखी को छोड़कर चला गया। जब राखी ने पता लगाया तो जफर पहली पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। बाद में जफर ने राखी को साफ कह दिया कि अगर साथ रहना है तो अपना धर्म बदलना होगा और दूसरी बीवी बनकर रहना होगा। राखी ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जफर ने मारपीट भी की।

राखी के भी दो बच्चे, पति की हो चुकी है मौत : राखी और जफर साथ में काम करते थे। इसी दौरान दोनों की जान-पहचान हुई थी। जफर की तरह राखी भी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। हालांकि राखी के पति का देहांत हो चुका है। राखी का कहना है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लव जिहाद का शिकार होने जा रही है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का दावा है कि बीती रात थाने की हवालात से जफर के फरार होने की घटना की जांच के बाद लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

> रोल कॉल (गणना) के समय सारा बल परिसर में मौजूद था। इसी बीच आरोपी पीछे की तरफ से भाग निकला। उसे पकड़ने टीम गठित की है। मामले में जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
>
> -**नरेंद्र रावत**, एसीपी थाना परदेशीपुरा

गुम हुआ मोबाइल वापस मिला तो चेहरे पर लौट आई मुस्कान

कई राज्यों से पुलिस लाई थी ढूंढकर, 262 लोगों को सौंपे मोबाइल

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

262 हताश लोगों के चेहरों पर उस समय मुस्कान लौट आई जब पुलिस ने उन्हें उनके गुम हुए मोबाइल वापस लौटा दिए। 50 लाख कीमत के इन मोबाइलों को ढूंढने पुलिस ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र की खाक छानी थी। गुम मोबाइल की शिकायत पीड़ितों ने सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पर की थी। इसके पहले 239 मोबाइल वापस कराए गए थे। पांच माह में अब तक 501 मोबाइल आवेदकों के पास पहुंच चुके हैं।

गुम मोबाइल, जो कि इंदौर सहित देश के विभिन्न शहरों में चल रहे थे। बरामद मोबाइल में 1 आईफोन, 13 वन प्लस, 29 सेमसंग, 49 ओप्पो, 76 वीवो, 39 रेडमी, 43 रियल मी, 1 पोको, 1 हानर, 2 टेक्नो, 1 नोकिया, 2 मोटोरोला, 2 ऑनर, 1 हुआई, 1 गूगल, 1 इंफिनिक्स आदि कई कंपनियों के हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन वास्तव में एक फोन एप्लीकेशन है, जिसे आमजन द्वारा गूगल पे स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण फीचर जैसे किसी घटना के संबंध में सीधे ऑनलाइन शिकायत अथवा पुलिस तक सूचना पहुंचाए जाने हेतु रिपोर्ट अन इंसीडेंट और किसी वस्तु चोरी अथवा गुम होने पर पुलिस में ऑनलाइन कम्पलेन दर्ज कराए जाने रिपोर्ट लास्ट आर्टिकल की सुविधा मुहैया कराई गई है।

दो स्थानों पर दो की मौत

इंदौर। शहर में दो स्थानों पर महिला और पुरुष की मौत हो गई। पहला मामला चंदननगर का है। यहां रेखा कुमावत पति बलराम निवासी मारुति पैलेस कॉलोनी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। दूसरी घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। यहां समर्थ ड्रीम सिटी में बिजली का काम करने वाले रामबाबू डांगी की करंट लगने से मौत हो गई। वह बिजली सुधारने स्टूल पर खड़े होकर काम कर रहा था, तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई।

कारोबारी को नहीं लौटाए कपड़े के 18 लाख रुपए

इंदौर। फैक्ट्री मालिक ने खजराना के कपड़ा कारोबारी द्वारा 18 लाख रुपए नहीं लौटाने की शिकायत राऊ पुलिस को की है। फरियादी सत्येंद्र यादव प्रोपराइटर क्षितिज इंपेक्स राऊ ने बताया कि मोहसिन खान निवासी हबीब कॉलोनी खजराना ने उनसे 41 लाख 62 हजार का माल खरीदा था। इसके बदले में 20 लाख 43 हजार का भुगतान किया और 26 लाख रुपए का कपड़ा वापस कर दिया। इसके बाद बचे हुए 18 लाख रुपए नहीं लौटाए।

आतंकी हमले के विरोध में राजवाड़ा पर बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला फूंका

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर की सख्त कार्रवाई की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

editor@peoplessamachar.co.in

विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल द्वारा इंदौर सहित सम्पूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। बजरंग दल ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला जलाने और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपकर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

बजरंग दल संयोजक प्रवीण दरेकर, प्रचार प्रमुख गन्नी चौकसे ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में बलिदान हुए तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

विभाग संगठन मंत्री अभिषेक उदेनिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में वैष्णोदेवी -कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिन्दू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। इसमें 10 निर्दोष हिन्दू तीर्थयात्री मारे गए। यह संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस क्रूरतम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है।

जम्मू-कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है आतंकवादियों का मनोबल अभी भी कम नहीं हुआ है।

हिंदुओं को चिह्नित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सबके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश में नई सरकार की शपथ के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य कर इस्लामी आतंकवादियों ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है।

ज्ञापन में मुख्य रूप से अभिषेक उदेनिया, अविनाश कौशल, राम डांगी, लक्की रघुवंशी, आकाश हेडवे आनंद गहलोत, सनी सेन, संदीप डांगी, जितेश राय एवं बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नगर निगम में करोड़ों के घोटाले में आरोपियों के खाते किए फ्रीज

इंदौर। नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाले के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी ठेकेदारों और निगमकर्मियों से पूछताछ के बाद अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करते हुए अन्य आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अब आरोपियों के खाते फ्रीज करा दिए हैं। पुलिस के अनुसार जिन ठेकेदारों के खाते फ्रीज कराए गए हैं, उनमें रेणु बडेरा, जिसके खाते में 39,49,399 रुपए, राहुल वडेरा के खाते में 21,07,067 रुपए, मोहम्मद जाकिर के खाते में 7,30,271 रु., मोहम्मद साजिद के खाते में 2,95,605 रुपए, मोहम्मद सिद्दीक के खाते में 2,17,813 रुपए, राजकुमार साल्वी के खाते में 3,17,113 रु. व राठौर के खाते में 3,29,125 रुपए फ्रीज कराए गए हैं।

सिकलीगर के पास से दो पिस्टल और कट्टे मिले

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने सिकलीगर को पकड़ा है। उसके पास से दो पिस्टल और कट्टे बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश का नाम कैलाश पिता महेंद्र चावला निवासी ब्लॉक कॉलोनी गंधवानी है। आरोपी इंदौर में किसी बदमाश को हथियार सप्लाय करने आया था।

मोबाइल लूटने वालों से चोरी की बाइक भी मिली

इंदौर। दो दिन पहले मल्हारगंज थाना क्षेत्र में राहगीर का मोबाइल लूटने वाले बदमाशों से पुलिस ने बाइक भी बरामद की है। 10 जून को रोहित कौशल नि.कंडिलपुरा का मोबाइल बाइक सवार बदमाश झपटकर ले गए थे। वहीं, एक अन्य संदीप तिवारी स्कीम नंबर 51 ने एक्टिवा क्र. एमपी 09 यूएफ 4191 चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अनिकेत उर्फ अन्नी वर्मा निवासी रामगंज जिंसी और दो अपचारी बालकों को पकड़ा। उनसे मोबाइल और बाइक बरामद की है।

मीरा बेन के हत्यारे पर 10 हजार का इनाम

रेलवे पुलिस ने लगाए शिनाख्ती के लिए फोटो

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9926064287

यार्ड में खड़ी महू-इंदौर ट्रेन की सीट के नीचे मिली महिला के शव के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आरोपी को पकड़ाने में मदद तथा उसका पता बताने वाले पर रेलवे पुलिस ने दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जीआरपी थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि युवती के हाथ-पैर उत्तराखंड में मिले थे। इसलिए वहां कुछ स्थानों पर युवती की शिनाख्ती के लिए पोस्टर फोटो लगाए गए हैं। युवती के हाथ पर मीरा बेन लिखे होने से पुलिस इस नाम से थानों में दर्ज हुई गुमशुदगियों को भी खंगाल रही है। इसके लिए एसआईटी गठित की है।

धार-झाबुआ से लापता : जांच के दौरान धार-झाबुआ और गुजरात बेल्ट पर ऐसी युवती की जानकारी मिली है, जिसका नाम मीरा बेन है। पुलिस इसी से अंदेशा लगा रही है कि वह गुजरात तरफ की हो सकती है। युवती की पहचान नहीं हो पाने की वजह से अभी तक हत्याकांड की गुत्थी भी नहीं सुलझी है। रेलवे पुलिस की एक टीम झाबुआ, धार, मेघनगर, दाहोद और गुजरात में मजदूर तबके सहित अन्य लोगों से लगातार जानकारी जुटा रही है कि इन क्षेत्रों से मीरा बेन नाम की कितनी महिलाएं लापता हैं।

पश्चिम रेलवे उधना⇄ छपरा के बीच चलेगी अनारक्षित विशेष ट्रेन

ट्रेन नं.	प्रारंभिक स्टेशन एवं गंतव्य	संचालन दिनांक	प्रस्थान	आगमन
09103	उधना-छपरा	13.06.2024	07:15 बजे (गुरूवार)	22:30 बजे (अगले दिन)
09104	छपरा-उधना	15.06.2024	01:30 बजे (शनिवार)	17:05 बजे (अगले दिन)

ठहरावः भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागौर, दमोह, कटनी, मुरवारा, सतना, मणिकपुर, प्रयागराज चौकी, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़, मऊ एवं बालिया स्टेशन दोनों दिशाओं में।

कम्पोजीशन : जनरल सेकण्ड क्लास कोचेस

हाल्ट एवं कम्पोजीशन के संबंध में विस्तृत समय के लिए विशेष ट्रेन के लिए, यात्री कृपया देखें www.enquiry.indianrail.gov.in

WESTERN RAILWAY
wr.indianrailways.gov.in
Like us on: facebook.com/WesternRly
Follow us on: twitter.com/WesternRly

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **विक्रांत भुपात्रय त्रिवेदी (VIKRANT BHUPATRAY TRIVEDI)** था, जो कि बदलकर मैंने अपना नाम **विक्रांत त्रिवेदी (VIKRANT TRIVEDI)** रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

VIKRANT TRIVEDI

ADDRESS- 726, SHRADHHA,
OMAXE CITY-1, BEHIND
SHERATON GRAND PALACE
HOTEL, MAYA KHEDI, INDORE
MADHYA PRADESH- 452016

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **स्वाति प्रधान पिता अनिल प्रधान (SWATI PRADHAN D/O ANIL PRADHAN)** था, जो कि बदलकर मैंने अपना नाम **स्वाति गुप्ते पति अभिषेक गुप्ते (SWATI GUPTE W/O ABHISHEK GUPTE)** रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

SWATI GUPTE W/O ABHISHEK GUPTE

ADDRESS- FLAT 102, SRAJAN
AVENUE, SCHEME NO. 97,
SLICE-4, 38 VIP PARASPAR
NAGAR, INDORE, RAJENDRA
NAGAR TEHSIL INDORE,
MADHYA PRADESH- 452012

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र इन्दौर, म.प्र.

(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर मध्य प्रदेश)

क्रमांक/4115/रीडर-1/24 जूनी इन्दौर, दिनांक 05.06.2024

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर एवं गुरू मंदिर ट्रस्ट पता-59, न्यू देवास रोड, इंदौर द्वारा ट्रस्ट में ट्रस्टडीड में संशोधन करने बाबद धारा 9(1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्टडीड में संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (15 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 05-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(घनश्याम धनगर)
रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इंदौर

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेशवर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

प्राइवेट ट्रिटी सेल द्वारा सरफेसी नियम 8 (5)-डी के तहत सूचना

प्राइवेट ट्रिटी के माध्यम से बैंक द्वारा विक्रय की जाने वाली बंधक संपत्ति और उसके आरक्षित मूल्य व विवरण नीचे तालिका में दी जा रही है।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रस्ताव मूल्य	क्रेता द्वारा प्राप्त ईएमडी राशि
हीनल फुट वियर (ऋणी), चंदीराम चंदवानी (सहऋणी), हरदेवी चंदवानी पत्नी चंदीराम (सहऋणी) ऋण खाता संख्या L9001060720162064	संपत्ति के फ्लैट नं. 303, तीसरी मंजिल, प्लेटिनम 21, प्लॉट नं. 104,105,106,107 भूमि सर्वे नं. 20/4, मानस रजत विहार कॉलोनी, ग्राम कोदारिया तहसील महु, जिला इन्दौर मप्र क्षेत्रफल 1012 वर्ग फीट, सीमाएं: पूर्व: अन्य भूमि, पश्चिम: कॉलोनी की रोड, उत्तर: अन्य भूमि, दक्षिण: कॉलोनी की रोड	₹ 8,51,000/- (आठ लाख इक्यावन हजार रूपये मात्र)	₹ 4,25,000/- (चार लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)

सुरक्षित लेनदार / प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि ऋणी के पास उपरोक्त प्रस्ताव से अधिक राशि का कोई खरीददार है तो उसे नोटिस की तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर अपनी प्रस्तावित राशि के 10 प्रतिशत के डीडी/पे ऑर्डर के साथ भेजने का अनुरोध किया जाता है और शेष राशि को उसका प्रस्ताव स्वीकार करने की दिनांक से पंद्रह दिवस में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर ही सम्पत्ति का बेचान किया जाएगा जो प्रस्तावित है।

दिनांक: 12.06.2024
स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ICICI Home Finance

कार्परेट कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, भारत

शाखा कार्यालयः श्रीमाया चौराहा, द्वितीय मंजिल, 62, क्षपानाक मार्ग, फ्रीगंज, माधव नगर हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन-456010

[नियम 8(6) के परंतुक देखें]

अचल संपति के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 नियमावली के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस,

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा;

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारटर/कानूनी वारिस/ऋण खाता संख्या	सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य बयाना जमा	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	दीपक सोलंकी (उधारकर्ता) महिमा सोलंकी (सह-उधारकर्ता) हेमन्त सोलंकी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता सं. LHIND00001336622 & LHIND00001336784 & LHIND00001336623	मकान बियरिंग सरल नं.231, वार्ड न.02, जमना नगर कालोनी, भूमि सर्वे नं.190/3 पैकि, पी.एच. नं.17 बिलवाली ग्राम, तहसील एवं जिला देवास मध्य प्रदेश-455001	रू. 29,43,440/- जून 04, 2024	रू. 19,44,000/- रू. 1,94,400/-	जून 26, 2024 11:00 AM 03:00 PM	जुलाई 03, 2024 02:00 PM 03:00 PM

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी ग्लोब टेक की वेबसाइट (यूआरएल लिंक-https://BestAuctionDeal.com) पर आयोजित की जाएगी।

गिरवी रखने वालों/नोटिस को 02 जुलाई 2024, सायं 05 .00 बजे से पहले तक अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीमाया चौराहा, द्वितीय मंजिल, 62, क्षपानांक मार्ग, फ्रीगंज, माधव नगर हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन-456010 में 02 जुलाई 2024 को शाम 04 :00 बजे तक या उससे पहले बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीमाया चौराहा, द्वितीय मंजिल, 62, क्षपानांक मार्ग, फ्रीगंज, माधव नगर हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन-456010 को 02 जुलाई 2024 या उससे पहले 05 .00 बजे से पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देवास में देय "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में एक राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियमों और शर्तों या निविदाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 या हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग पार्टनर नेक्ससेन सॉल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें https://www.icicihfc.com/

दिनांक : जून 13, 2024
स्थान : देवास

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE
SWACHH BHARAT MISSION
NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 06/EE/SBM/24-25/E-TENDER
Date : 10.06.2024

Online bids for the following work are invited from the eligible bidders having relevant experience of work.

G. No.	Tender No.	Name of Work	Earnest Money Deposit (Rs.)	Cost of Tender form (Rs.)	Last date of purchase & Submission of tender
G-1	2024_UAD_349740	Construction of 10 no. of Mobile Smart Public Toilet on Design, built, Finance, Operate & Transfer (DBFOT) basis, with operation and maintenance for 5 years. **(FOURTH CALL)**	₹1,00,000/-	₹5,000/-	27/06/2024 (till 05:30 PM)

1. For more details, please visit the website at http://www.mptenders.gov.in
2. Amendment to NIT, if any would be published only on website & not in Newspaper

Executive Engineer
Swachh Bharat Mission
Indore Municipal Corporation

M.P. EMPLOYEES SELECTION BOARD
Chayan Bhawan, Main Road No. 1, Chinar Park (East), Bhopal- 462011

Tender No. : 26/2024
Bhopal, Dated : 11.06.2024

E-TENDER INVITATION NOTICE NO. - 26/2024

E-Tender is hereby invited by M.P.Employees Selection Board for "Empanelment to provide Security Ancillary services during multiple CBT mode examination being conducted by Madhya Pradesh Employees Selection Board throughout the State".

Important Dates are :-

Bid Calling Date : 11-June-2024 05:00 PM
Pre Bid Meeting : 19-June-2024 11:30 AM
Bid Due date : 03-July-2024 05:00 PM

Detailed e-Tender notice and corrigendum will be available in the official website of ESB **www.esb.mp.gov.in** and **www.mptenders.gov.in**.

M.P. Madhyam/114855/2024
DIRECTOR